

राज्य सरकारों के खातों में क्रेडिट की जाने वाली राशि

फा. 15(4) एफसी-एक्सवी/एफसीडी/2020-25

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
वित्त आयोग प्रभाग

ब्लॉक सं. XI, 5वीं मंजिल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
नई दिल्ली-110003
दिनांक:- 26-03-2021

सेवा में,

लेखा अधिकारी (राज्य - ऋण),
मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय,
व्यय विभाग,
वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली-110001.

विषय: पंद्रहवे वित्त आयोग द्वारा यथा अनुसंशित **ग्रामीण स्थानीय निकाय आबद्ध अनुदान** जारी करने के बारे में

महोदय,

अद्योहस्ताक्षरी को 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुसंशित **आबद्ध अनुदान** अंकन रु. **1083100.00** लाख (दस हजार, आठ सौ इकतीस करोड़ रुपये मात्र) 2020-21 के दौरान राज्य सरकार (रों) को अनुलग्नक-1 (पृष्ठ-3) में दिए गए विवरणों के अनुसार जारी करने के लिए भारत सरकार में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की सूचना देने का निदेश हुआ है।

2. राज्य सरकार(रों) को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि अनुलग्नक-1 में संबंधित राज्य के नाम के विपरीत दर्शाई गई राशि 2011 की जनगणना को 90 प्रतिशत के भारांक तथा क्षेत्र को 10 प्रतिशत के भारांक के साथ राज्य के भीतर सामान्य क्षेत्रों एवं अपवर्जित क्षेत्रों, यदि कोई हो (जहाँ संविधान का भाग IX एवं IXA लागू नहीं है) आवंटित करें।

3. उपर्युक्त पैरा 2 के अनुसार **अपवर्जित क्षेत्रों** (यदि कोई हो) के लिए विभाजित अनुदानों को राज्य वित्त विभाग द्वारा पंचायती राज/ एडीसी/ वीसीबी मामलों को देख रहे संबंधित प्रशासनिक विभागों/नोडल विभागों के माध्यम से संबंधित स्वायत्त जिला परिषदों (एडीसी)/ ग्राम परिषद निकायों (वीसीबी)/ ग्राम सभाओं (जैसा भी मामला हो) को सीधे हस्तांतरित करने होंगे।

4. **सामान्य क्षेत्रों** के लिए विभाजित अनुदानों का वितरण हालिया राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की स्वीकृत सिफारिशों के आधार पर पंचायतों के सभी स्तरों के लिए अंतिम रूप दी गई पारस्परिक (इंटर से) हिस्सेदारी के अनुसार पूरे राज्य में प्रत्येक पंचायत स्तर के भीतर करना होगा। तथापि, यदि वितरण के लिए एसएफसी की सिफारिश उपलब्ध नहीं है, तो आवंटन जनसंख्या और क्षेत्र के लिए 90:10 के अनुपात के आधार पर किए जाने चाहिए।

5. राज्य (राज्य वित्त विभाग) संघ सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने के दस दिनों के भीतर बिना कोई कटौती के हस्तांतरित करने होंगे। दस कामकाजी दिनों से परे कोई भी विलंब पर राज्य सरकार को अनुदान पिछले वर्ष के लिए बाजार उधारों/राज्य विकास ऋणों (एलडीएल) पर ब्याज की प्रभावी दर के अनुसार ब्याज के साथ देने होंगे।

पृष्ठ-2 पर जारी

6. पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित उपरोक्त **आबद्ध अनुदान** का उपयोग स्थानीय निकायों द्वारा मूलभूत सेवाओं (क) स्वच्छता एवं खुले में शौच मुक्त स्थिति को कायम रखने और (ख) पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन तथा जल पुनचक्रण के लिए किया जा सकता है। स्थानीय निकाय इन आबद्ध अनुदानों की आधी मात्रा की राशि को इन प्रत्येक दो महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए यथासंभवतः अलग से निमित्त करेंगे। तथापि, यदि किसी स्थानीय निकाय ने किसी एक श्रेणी की आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्ण रूप से कर ली है, जो वह निधियों का उपयोग अन्य श्रेणी के लिए कर सकता है।

7. उपर्युक्त स्थानीय निकाय अनुदान दिनांक 01-06-2020 के का.ज्ञा. सं. फा. 15(2) एफसी-एक्सवी/एफसीडी/2020-25 के माध्यम से उपरोक्त विषय पर जारी किए गए परिचालन दिशानिर्देशों में प्रावधानों के अनुसार शासित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, राज्यों को उपयोग प्रमाण पत्र में निम्न को सत्यापित करना होगा;

(i) कि सभी ग्राम पंचायतों ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी एडवाइजरियों/ दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी जीपीडीपी योजनाओं में पेयजल एवं स्वच्छता सेवाओं को समाविष्ट किया है।

(ii) कि पेयजल एवं स्वच्छता सेवा गतिविधियों को समाविष्ट करके जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए 2020-21 की अवधि हेतु राज्य की वार्षिक कार्यान्वयन योजनाओं को अंतिम रूप देकर (जिला/ग्राम कार्य योजनाओं को समेकित करते हुए) डीडीडब्ल्यूएस की ऑनलाइन एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) में अपलोड कर दिया गया है।

(iii) उपर्युक्त पैरा 6 में यथा वर्णित दो महत्वपूर्ण सेवाओं प्रत्येक के संबंध में पूर्ण वर्ष 2020-21 के लिए आबद्ध अनुदान का प्रतिशत अलग से निमित्त कर दिया गया है।

8. पीएओ-राज्य ऋण, मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली से अनुरोध किया जाता है कि वह उपरोक्त राशि को संबंधित राज्य सरकार (रें) के खातों में क्रेडिट करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर को सलाह दें।

9. भुगतान वित्त मंत्रालय के लेखाओं स्थानीय निकाय (3.01 ग्रामीण निकाय) के लिए अनुदानों के रूप में फंक्शन हेड 3601071020100, ऑब्जेक्ट हेड 31, स्कीम कोड 2084 के तहत वर्ष 2020-2021 के लिए मांग सं. 038 - राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र सरकार (रें) को हस्तांतरण - में समायोजनीय हैं।

(सुभाष चन्द्र मीणा)
निदेशक (एफसीडी)
दूरभाष सं. 243608543

प्रतिलिपि:

क्र. सं.	नाम
1.	सचिव, आरबीआई, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई
2.	सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली
3.	सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, खंड सी, 4वां तल, पं. दीनदायल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
4.	प्रबंधक, आरबीआई, केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर
5.	बजट प्रभाग (राज्य अनुभाग), डीईए, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
6.	पीएओ, व्यय विभाग (डीओई)
7.	महा लेखाकार (ए एवं ई), संबंधित राज्य सरकार (रें)
8.	महा लेखाकार (लेखापरीक्षा), संबंधित राज्य सरकार (रें)
9.	सचिव (वित्त), संबंधित राज्य सरकार (रें)
10.	सचिव (पंचायती राज), संबंधित राज्य सरकार (रें)

(सुभाष चन्द्र मीणा)
निदेशक (एफसीडी)
पृष्ठ-3 पर जारी..

क्र. सं.	राज्य का नाम	राशि (रु. लाख में)	अनुदान घटक	किस्त	वर्ष
1.	आंध्र प्रदेश	65625.00	आरएलबी को आबद्ध अनुदान	दूसरी	2020-21
2.	बिहार	125450.00	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
3.	छत्तीसगढ़	36350.00	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
4.	गुजरात	79875.00	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
5.	हरियाणा	31600.00	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
6.	हिमाचल प्रदेश	10725.00	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
7.	झारखंड	42225.00	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
8.	कर्नाटक	80425.00	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
9.	मध्य प्रदेश	99600.00	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
10.	महाराष्ट्र	145675.00	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
11.	ओडिशा	56450.00	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
12.	तेलंगाना	46175.00	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
13.	त्रिपुरा	4775.00	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
14.	उत्तर प्रदेश	243800.00	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
15.	उत्तराखंड	14350.00	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
	कुल	1083100.00	x	x	x

राज्य सरकारों के खातों में क्रेडिट की जाने वाली राशि

फा. 15(4) एफसी-एक्सवी/एफसीडी/2020-25

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
वित्त आयोग प्रभाग

ब्लॉक सं. XI, 5वीं मंजिल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
नई दिल्ली-110003
दिनांक:- 26-03-2021

सेवा में,

लेखा अधिकारी (राज्य - ऋण),
मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय,
व्यय विभाग,
वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली-110001.

विषय: पंद्रहवे वित्त आयोग द्वारा यथा अनुसंशित **ग्रामीण स्थानीय निकाय आबद्ध अनुदान** जारी करने के बारे में महोदय,

अद्योहस्ताक्षरी को 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुसंशित **आबद्ध अनुदान** अंकन रु. **1517700.00** लाख (एक हजार एक सौ दस करोड़ रुपये मात्र) 2020-21 के दौरान राज्य सरकार (रों) को निम्न में दिए गए विवरणों के अनुसार जारी करने के लिए भारत सरकार में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की सूचना देने का निदेश हुआ है।

क्र. सं.	राज्य का नाम	राशि (रु. लाख में)	अनुदान घटक	किस्त	वर्ष
1	केरल	40700.00	आरएलबी को आबद्ध अनुदान	दूसरी	2020-21
2	पश्चिम बंगाल	110300.00	आरएलबी को आबद्ध अनुदान	दूसरी	2020-21
X	X	151000.00	X	X	X

2. राज्य सरकार(रों) को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि उपरोक्त में उल्लेखित संबंधित राज्य के नाम के विपरीत दर्शाई गई राशि को 2011 की जनगणना को 90 प्रतिशत के भारांक तथा क्षेत्र को 10 प्रतिशत के भारांक के साथ राज्य के भीतर सामान्य क्षेत्रों एवं अपवर्जित क्षेत्रों, यदि कोई हो (जहाँ संविधान का भाग IX एवं IXA लागू नहीं है) को आवंटित की जाए।

3. उपर्युक्त पैरा 2 के अनुसार **अपवर्जित क्षेत्रों** (यदि कोई हो) के लिए विभाजित अनुदानों को राज्य वित्त विभाग द्वारा पंचायती राज/ एडीसी/ वीसीबी मामलों को देख रहे संबंधित प्रशासनिक विभागों/नोडल विभागों के माध्यम से संबंधित स्वायत्त जिला परिषदों (एडीसी)/ ग्राम परिषद निकायों (वीसीबी)/ ग्राम सभाओं (जैसा भी मामला हो) को सीधे हस्तांतरित करने होंगे।

4. **सामान्य क्षेत्रों** के लिए विभाजित अनुदानों का वितरण हालिया राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की स्वीकृत सिफारिशों के आधार पर पंचायतों के सभी स्तरों के लिए अंतिम रूप दी गई पारस्परिक हिस्सेदारी के अनुसार पूरे राज्य में प्रत्येक पंचायत स्तर के भीतर करना होगा। तथापि, यदि वितरण के लिए एसएफसी की सिफारिश उपलब्ध नहीं है, तो आवंटन जनसंख्या और क्षेत्र के लिए 90:10 के अनुपात के आधार पर किए जाने चाहिए।

पृष्ठ-2 पर जारी.

5. राज्य (राज्य वित्त विभाग) संघ सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने के दस दिनों के भीतर बिना कोई कटौती के हस्तांतरित करने होंगे। दस कामकाजी दिनों से परे कोई भी विलंब पर राज्य सरकार को अनुदान पिछले वर्ष के लिए बाजार उधारों/राज्य विकास ऋणों (एलडीएल) पर ब्याज की प्रभावी दर के अनुसार ब्याज के साथ देने होंगे।

6. पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित उपरोक्त **आबद्ध अनुदान** का उपयोग स्थानीय निकायों द्वारा मूलभूत सेवाओं (क) स्वच्छता एवं खुले में शौच मुक्त स्थिति को कायम रखने और (ख) पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन तथा जल पुनचक्रण के लिए किया जा सकता है। स्थानीय निकाय इन आबद्ध अनुदानों की आधी मात्रा की राशि को इन प्रत्येक दो महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए यथा संभवतः अलग से निमित्त करेंगे। तथापि, यदि किसी स्थानीय निकाय ने किसी एक श्रेणी की आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्ण रूप से कर ली है, तो वह निधियों का उपयोग अन्य श्रेणी के लिए कर सकता है।

7. उपर्युक्त स्थानीय निकाय अनुदान दिनांक 01-06-2020 के का.ज्ञा. सं. फा. 15(2) एफसी-एक्सवी/एफसीडी/2020-25 के माध्यम से उपरोक्त विषय पर जारी किए गए परिचालन दिशानिर्देशों में प्रावधानों के अनुसार शासित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, राज्यों को उपयोग प्रमाण पत्र में निम्न को सत्यापित करना होगा;

(i) कि सभी ग्राम पंचायतों ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी एडवाइजरियों/ दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी जीपीडीपी योजनाओं में पेयजल एवं स्वच्छता सेवाओं को समाविष्ट किया है।

(ii) कि पेयजल एवं स्वच्छता सेवा गतिविधियों को समाविष्ट करके जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए 2020-21 की अवधि हेतु राज्य की वार्षिक कार्यान्वयन योजनाओं को अंतिम रूप देकर (जिला/ग्राम कार्य योजनाओं को समेकित करते हुए) डीडीडब्ल्यूएस की ऑनलाइन एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) में अपलोड कर दिया गया है।

(iii) उपर्युक्त पैरा 6 में यथा वर्णित दो महत्वपूर्ण सेवाओं प्रत्येक के संबंध में पूर्ण वर्ष 2020-21 के लिए आबद्ध अनुदान का प्रतिशत अलग से निमित्त कर दिया गया है।

8. पीएओ-राज्य ऋण, मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली से अनुरोध किया जाता है कि वह उपरोक्त राशि को संबंधित राज्य सरकार (रों) के खातों में क्रेडिट करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर को सलाह दें।

9. भुगतान वित्त मंत्रालय के लेखाओं स्थानीय निकाय (3.01 ग्रामीण निकाय) के लिए अनुदानों के रूप में फंक्शन हेड 3601071020100, ऑब्जेक्ट हेड 31, स्कीम कोड 2084 के तहत वर्ष 2020-2021 के लिए मांग सं. 038 - राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र सरकार (रों) को हस्तांतरण - में समायोजनीय हैं।

10. जैसा कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है, उपर्युक्त में उल्लेखित राज्य सरकारों को सहायता राशि निम्नलिखित शर्तों द्वारा शासित की जाएगी:

- (i) इस संबंध में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, मुद्रित, रेडियो, इंटरनेट या कोई अन्य मीडिया में किसी भी रूप में कोई भी प्रचार नहीं किया जाएगा।
- (ii) कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता प्रेस या जनता को कोई भाषण या संचार के दौरान इस संबंध में कोई बात नहीं करेगा।
- (iii) प्रचार पर ये निषेध केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार पर लागू होंगे।
- (iv) आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के संबद्ध प्रावधानों का सख्ती से पालन करना होगा।

(सुभाष चन्द्र मीणा)
निदेशक (एफसीडी)
दूरभाष सं. 243608543
पृष्ठ-3 पर जारी

प्रतिलिपि:

क्र. सं.	नाम
1.	सचिव, आरबीआई, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई
2.	सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली
3.	सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, खंड सी, 4वां तल, पं. दीनदायल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
4.	प्रबंधक, आरबीआई, केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर
5.	बजट प्रभाग (राज्य अनुभाग), डीईए, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
6.	पीएओ, व्यय विभाग (डीओई)
7.	महा लेखाकार (ए एवं ई), संबंधित राज्य सरकार (रें)
8.	महा लेखाकार (लेखापरीक्षा), संबंधित राज्य सरकार (रें)
9.	सचिव (वित्त), संबंधित राज्य सरकार (रें)
10.	सचिव (पंचायती राज), संबंधित राज्य सरकार (रें)

(सुभाष चन्द्र मीणा)
निदेशक (एफसीडी)

राज्य सरकारों के खातों में क्रेडिट की जाने वाली राशि

फा. 15(4) एफसी-एक्सवी/एफसीडी/2020-25

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
वित्त आयोग प्रभाग

ब्लॉक सं. XI, 5वीं मंजिल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
नई दिल्ली-110003
दिनांक:- 26-03-2021

सेवा में,

लेखा अधिकारी (राज्य - ऋण),
मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय,
व्यय विभाग,
वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली-110001.

विषय: पंद्रहवे वित्त आयोग द्वारा यथा अनुसंशित **ग्रामीण स्थानीय निकाय आबद्ध अनुदान** जारी करने के बारे में महोदय,

अद्योहस्ताक्षरी को 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुसंशित **आबद्ध अनुदान** अंकन रु. **1050.00** लाख (दस करोड़ पचास लाख रुपये मात्र) 2020-21 के दौरान राज्य सरकार (रों) को निम्न में दिए गए विवरणों के अनुसार जारी करने के लिए भारत सरकार में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की सूचना देने का निदेश हुआ है।

क्र. सं.	राज्य का नाम	राशि (रु. लाख में)	अनुदान घटक	किस्त	वर्ष
1	सिक्किम	1050.00	आरएलबी आबद्ध अनुदान	दूसरी	2020-21
x	x	1050.00	x	x	x

2. राज्य सरकार(रों) को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि उपर्युक्त में उल्लेखित राशि को 2011 की जनगणना को 90 प्रतिशत के भारांक तथा क्षेत्र को 10 प्रतिशत के भारांक के साथ राज्य के भीतर सामान्य क्षेत्रों एवं अपवर्जित क्षेत्रों, यदि कोई हो (जहाँ संविधान का भाग IX एवं IXA लागू नहीं है) आवंटित करें।

3. उपर्युक्त पैरा 2 के अनुसार **अपवर्जित क्षेत्रों** (यदि कोई हो) के लिए विभाजित अनुदानों को राज्य वित्त विभाग द्वारा पंचायती राज/ एडीसी/ वीसीबी मामलों को देख रहे संबंधित प्रशासनिक विभागों/नोडल विभागों के माध्यम से संबंधित स्वायत्त जिला परिषदों (एडीसी)/ ग्राम परिषद निकायों (वीसीबी)/ ग्राम सभाओं (जैसा भी मामला हो) को सीधे हस्तांतरित करने होंगे।

4. **सामान्य क्षेत्रों** के लिए विभाजित अनुदानों का वितरण हालिया राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की स्वीकृत सिफारिशों के आधार पर पंचायतों के सभी स्तरों के लिए अंतिम रूप दी गई पारस्परिक (इंटर से) हिस्सेदारी के अनुसार पूरे राज्य में प्रत्येक पंचायत स्तर के भीतर करना होगा। तथापि, यदि वितरण के लिए एसएफसी की सिफारिश उपलब्ध नहीं है, तो आवंटन जनसंख्या और क्षेत्र के लिए 90:10 के अनुपात के आधार पर किए जाने चाहिए।

5. राज्य (राज्य वित्त विभाग) संघ सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने के दस दिनों के भीतर बिना कोई कटौती के हस्तांतरित करने होंगे। दस कामकाजी दिनों से परे कोई भी विलंब पर राज्य सरकार को अनुदान पिछले वर्ष के लिए बाजार उधारों/राज्य विकास ऋणों (एलडीएल) पर ब्याज की प्रभावी दर के अनुसार ब्याज के साथ देने होंगे।

6. पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित उपरोक्त **आबद्ध अनुदान** का उपयोग स्थानीय निकायों द्वारा मूलभूत सेवाओं (क) स्वच्छता एवं खुले में शौच मुक्त स्थिति को कायम रखने और (ख) पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन तथा जल पुनचक्रण के लिए किया जा सकता है। स्थानीय निकाय इन आबद्ध अनुदानों की आधी मात्रा की राशि को इन प्रत्येक दो महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए यथासंभवतः अलग से निमित्त करेंगे। तथापि, यदि किसी स्थानीय निकाय ने किसी एक श्रेणी की आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्ण रूप से कर ली है, जो वह निधियों का उपयोग अन्य श्रेणी के लिए कर सकता है।

7. उपर्युक्त स्थानीय निकाय अनुदान दिनांक 01-06-2020 के का.ज्ञा. सं. फा. 15(2) एफसी-एक्सवी/एफसीडी/2020-25 के माध्यम से उपरोक्त विषय पर जारी किए गए परिचालन दिशानिर्देशों में प्रावधानों के अनुसार शासित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, राज्यों को उपयोग प्रमाण पत्र में निम्न को सत्यापित करना होगा;

(i) कि सभी ग्राम पंचायतों ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी एडवाइजरियों/ दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी जीपीडीपी योजनाओं में पेयजल एवं स्वच्छता सेवाओं को समाविष्ट किया है।

(ii) कि पेयजल एवं स्वच्छता सेवा गतिविधियों को समाविष्ट करके जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए 2020-21 की अवधि हेतु राज्य की वार्षिक कार्यान्वयन योजनाओं को अंतिम रूप देकर (जिला/ग्राम कार्य योजनाओं को समेकित करते हुए) डीडीडब्ल्यूएस की ऑनलाइन एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) में अपलोड कर दिया गया है।

(iii) उपर्युक्त पैरा 6 में यथा वर्णित दो महत्वपूर्ण सेवाओं प्रत्येक के संबंध में पूर्ण वर्ष 2020-21 के लिए आबद्ध अनुदान का प्रतिशत अलग से निमित्त कर दिया गया है।

8. पीएओ-राज्य ऋण, मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली से अनुरोध किया जाता है कि वह उपरोक्त राशि को संबंधित राज्य सरकार (रें) के खातों में क्रेडिट करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर को सलाह दें।

9. भुगतान वित्त मंत्रालय के लेखाओं स्थानीय निकाय (3.01 ग्रामीण निकाय) के लिए अनुदानों के रूप में फंक्शन हेड 3601071020100, ऑब्जेक्ट हेड 31, स्कीम कोड 2084 के तहत वर्ष 2020-2021 के लिए मांग सं. 038 - राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र सरकार (रें) को हस्तांतरण - में समायोजनीय हैं।

(सुभाष चन्द्र मीणा)
निदेशक (एफसीडी)
दूरभाष सं. 243608543

प्रतिलिपि:

क्र. सं.	नाम
1.	सचिव, आरबीआई, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई
2.	सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली
3.	सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, खंड सी, 4वां तल, पं. दीनदायल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
4.	प्रबंधक, आरबीआई, केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर
5.	बजट प्रभाग (राज्य अनुभाग), डीईए, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
6.	पीएओ, व्यय विभाग (डीओई)
7.	महा लेखाकार (ए एवं ई), संबंधित राज्य सरकार (रें)
8.	महा लेखाकार (लेखापरीक्षा), संबंधित राज्य सरकार (रें)
9.	सचिव (वित्त), संबंधित राज्य सरकार (रें)
10.	सचिव (पंचायती राज), संबंधित राज्य सरकार (रें)

(सुभाष चन्द्र मीणा)
निदेशक (एफसीडी)